मारवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था – रोहट ठिकाने के विशेष सन्दर्भ में

*भगवानसिंह शेखावत

शोध सारांश

मानव जीवन को सभ्य और अनुशासित बनाने में प्रशासनिक तंत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था के संदर्भ वैदिक काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। उपनिषद् काल तक तो राजपद एवं उससे सम्बन्धित संस्थाएँ पूर्णतया विकसित हो चुकी थी, लेकिन समाज में राज्यों के उत्थान के साथ ही जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तब राजा ने इस कार्य की जिम्मेदारी स्वयं पर ली। उसने इस कार्य हेतु जनता से कर एकत्र करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। अब कर एकत्रित करने, सम्पति की रक्षा करने और विकास कार्य करवाने हेतु कुछ श्रेष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी ताकि राज्य में कार्यों का विभाजन हो एवं राजा के आदर्शों की क्रियान्विति हो सके। राज्य में जैसे–जैसे आवश्यकता पड़ी नए–नए पद सृजित होने लगे। मौर्यकाल तक पहुँचते–पहुँचते तो प्रशासन तंत्र का इतना विकास हो गया कि कौटिल्य ने इस विषय पर 'अर्थशास्त्र' शीर्षक ग्रन्थ की ही रचना कर डाली। बाद में स्मृतियों और पुराणों में भी प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों की चर्चा की गई। मध्यकाल में सुल्तानों तथा मुगलों के प्रभाव फलस्वरूप भारतीय शासकों की प्रशासन पद्धति में कई परिवर्तन आए। यद्यपि राजपूत राज्यों की प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय थी, लेकिन उनके प्रशासन तंत्र का ढाँचा प्राचीन भारतीय प्रशासनिक पद्धति पर ही आधारित था, जिसमें मुस्लिम प्रभाव के कारण कई महत्त्वपूर्ण पद सृजित किए गए।

ज्ञातव्य है कि **''ठिकानेदार''** राज्य की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। इनके बिना शासक भी सुचारू रूप से शासन संचालन नहीं कर सकता था। ठिकानेदार अपने ठिकाने में एक अर्द्धस्वतन्त्र शासक के रूप में कार्य करता था। ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का एक लघु रूप थी। अपने क्षेत्र में प्रमुख होने के कारण ठाकुर अनगिनत प्रशासनिक व सैनिक शक्तियों का उपयोग करता था। ठिकाने की व्यवस्था सम्बन्धी कहीं विवाद उत्पन्न होता तो ऐसी स्थिति में परम्परागत चले आ रहे नियमों की पालना की जाती थी।

ठिकानेदार के मुख्यतः दो कार्य थे (1) ठिकाने में शान्ति और कानून की व्यवस्था बनाए रखना और (2) रैयत को समृद्ध व सुखी बनाये रखना। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र में कर वसूली भी करते थे। इन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए जो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाता था। उसे ''प्रधान'' कहा जाता था। जिसकी नियुक्ति शासक की स्वीकृति पर निर्भर करती थी। प्रशासन ठिकाने का होता था, क्योंकि सम्पूर्ण व्यवस्था उसी के चारों ओर घूमती थी।

ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कामदार, फौजदार, वकील, दारोगा, कासीद, हवलदार, पटवारी, पोतदार, कनवारिया, खसरा नवीस की नियुक्ति आवश्यकतानुसार और उनके योग्यतानुसार की जाती थी। रोहिट ठिकाने के प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ठिकानेदार के द्वारा उपयुक्त सभी पद सृजित किये गये थे। जिनका विवरण इस प्रकार है।

कामदार

सामान्य तौर पर कामदार का पद राजस्थान के सभी रजवाड़ों के ठिकानों में विद्यमान था। इनका कार्य दीवान पद के समान्तर हुआ करता था। मुख्यतः वित्त और राजस्व सम्बन्धी कार्यों का लेखा–जोखा रखना और ठिकानेदारों की

अनुपस्थिति में महत्त्वपूर्ण फैसले लेना इनका प्रमुख कार्य था। ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था में कामदार का पद ठाकुर के प्रति विश्वसनीय था ही वरन् ठिकाने के आर्थिक स्तर को समृद्धि प्रदान करना और जनता का ठाकुर के प्रति सामंजस्य रखना भी इनका प्रमुख कर्त्तव्य था। मारवाड़ के रोहिट ठिकाने की जमा खर्च की बहियों से ज्ञात होता है कि अर्थ सम्बन्धी जितनी भी व्यवस्थाऐं ठिकाने और उसके अधीनस्थ गाँवों में जो विद्यमान थी उसकी देखभाल करना, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। रोहिट ठिकाने की घासमारी, माल सेरीणो, झुंपी, खरखर इत्यादि की बही में लिखा मिलता है कि वि.सं. 1887 में मुहता धनराज और मुहता माईदास कामदार के पद का निर्वाह कर रहे थे। इसी तरह वि.सं. 2006 में साहब शेख अल्लाह बक्श और व्यास मिश्रीलाल रोहिट ठिकाने के कामदार पद पर नियुक्त थे। ठिकाने की और से कामदारों को 15–20 रूपये प्रति माह वेतन दिये जाने के साथ ही वस्त्र इत्यादि भी ठिकाने की ओर से प्रदान किये जाते थे। ठिकाने के अधीनस्थ गावों में जब कभी कुंता इत्यादि अनाज की कटाई अथवा अनाज का हिस्सा किया जाने पर कामदार के साथ ही उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता था। यह ठिकाने का ठिकाने के प्रति विश्वासलायक पद था। इनकी नियुक्ति विशेषकर ठाकुर की इच्छा पर तो निर्भर करती ही थी बल्कि राज्य का भी इसमें हस्तक्षेप था। क्योंकि ठिकाने के राजस्व सम्बन्धी सभी मामले वह राज्य के नियमों के अनुरूप किया करता था।

पटवारी

रोहिट ठिकाने में कामदार के साथ ही पटवारी पद का भी उल्लेख हुआ है। इसका प्रमुख कार्य ठिकाने के जाम खर्च के ब्यौरे में न सिर्फ कामदार की मदद करना बल्कि खेती–बाड़ी से सम्बन्धित अनाज की पर नजर भी रखना था। ठिकाने की ओर से इनको 15 रू. प्रदान किये जाते थे। वि.सं. 2006 में पटवारी पद पर साह लूणकरण और वि.सं. 1917 में साह मेगो कार्यरत थे। ये पद भी ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पटवारी न सिर्फ ठिकाने के भू–खण्डों की पैमाईश करता बल्कि वह अकाल के दिनों में अनाज के नष्ट होने की जानकारी भी रखता और उसी के अनुरूप किसानों को ठिकाने की स्वीकृति से कर्ज माफ करवाने में भी अपनी भूमिका निभाता था।

पोतदार

ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था में पोतदार का पद भी विशेष भूमिका निभाता था। वि.सं. 2006 कुंपावत तेजसिंह और कन्हैयालाल पोतदार के पद पर नियुक्त थे। रोहिट ठिकाने की लाग–बाग बही से ज्ञात होता है कि पोतदार मालसेरीणा, झूंपी, खरखर, घासमारी इत्यादि कर गांव के विभिन्न लोगों से वसूल करवाने में अपना योगदान देता था। ठिकाने के अधीनस्थ वे भू–खण्ड जहां कृषि की जाती थी, उन भू–खण्डों में उपजी फसलों को देखकर यह अपने अनुमान से उसको अपनी बहियों में दर्ज करते और खेत की उपज से राजस्व का निर्धारण भी अपने विवेक से कराते थे।

फौजदार

रोहिट ठिकाने में सुरक्षा के दायित्व से जुड़ा यह पद बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस पद पर ज्यादातर इनके कुल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। इनका प्रमुख कार्य जागीर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ठिकाने की चौकसी प्रमुख रूप से था। इनके नियंत्रण में दरोगा अस्तबल और दारोगा सूतरखाना का पद हुआ करता था। जो क्रमशः घोड़े अथवा अश्व के अलावा ऊँटों की देख्वारेख का कार्य करते थे। ज्ञातव्य है कि ठिकानेदारों का स्तर घोड़ों की संख्या के आधार पर आंका जाता था। यह भी पक्ष महत्वपूर्ण है कि ठिकाने की रेख के अनुसार राज्य में चाकरी का भी नियम था। रोहिट ठिकाने 18500 रूपये रेख थी। अतः राज्य में 18 घुड़सवारों और 1 पैदल सैनिक के रूप में अपनी सेवाऐं देते थे। मारवाड़ के सभी ठिकानों में 1000 रूपये की रेख के पीछे 1 घुड़सवार राज्य में भेजने का नियम था।

हवालदार

रोहिट ठिकाने में सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण चौकियों पर हवालदार नियुक्त होते थे। ये ठिकाने में अपराधियों पर न सिर्फ अंकुश लगाते बल्कि ठिकाने के ठाकुर से परामर्श लेकर इन अपराधियों को दण्डित भी करते थे। हवालदार

ठिकाने की चौकसी के बाबत् अपने मुखबीर भी रखा करते थे। ठिकाने की कचेड़ी तालके बही से ज्ञात होता है कि हवालदार न सिर्फ ठिकाने में बल्कि ठिकाने के अधीनस्थ गांवों में मुखबीर छोड़े जाते थे। वे अपराधियों की गतिविधियों का पता लगाते बल्कि किसी भी प्रकार की अनहोनी की सूचना हवालदार को प्रदान कराते थे। हवालदार के माध्यम से ही मुखबीरों को चार रूपये महीना दिया जाता था। वि.सं. 2006 में ठिकाने की विभिन्न चौकियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हवालदारों के नाम दिये गये मिलते हैं। जिनमें पातावत लादुसिंह, भाटी हणुतसिंह, भूरेखां, लालुखां, हरकिशन, पुरोहित भूरा इत्यादि। ठिकाने की ओर से इन्हें मासिक वेतन साढे आठ रूपये मिलता था।

पहरादार

रोहिट ठिकाने में पहरादार का भी पद हुआ करता था। यह पद ठिकाने की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा था। रोहिट गढ़ के पहरेदारों के रजिस्टर 1–10–39 से ज्ञात होता है कि यह पद चौबीस घण्टे अपनी सेवाऐं अलग–अलग समय में दिया करते थे। जो इस प्रकार है –

सुबह		शाम	
6–9 रतनसिंह	9–12 सुखसिंह	6–9 रतनसिंह	9–12 सुखसिंह
12–3 हरिराम	3–6 नाहरसिंह	12–3 हरिराम	3–6 नाहरसिंह

रोहिट ठिकाने के पहरेदारों के रजिस्टर से यह भी ज्ञात होता है कि ठिकाने में रात्रि गश्त की जाती थी, जिसका समय 11 बजे से 1 बजे तक का होता था। यह गश्त सुखसिंह और लालखां के द्वारा की जाती थी। इसके साथ ही 2 बजे से 4 बजे तक की गस्त गुमसिंह और हिम्मतसिंह के द्वारा की जाती थी। उक्त रजिस्टर में दारोगा मुल्ला, लच्छीराम, भारतसिंह का भी नामोल्लेख हुआ है जो रात्रिकालीन गस्त में शामिल थे। इन्हें ठिकाने की ओर से पांच रूपये मासिक वेतन दिया जाता था। ठिकाने की बहियों में यह भी लिखा मिलता है कि इन्हें ठिकाने की ओर से वस्त्र के साथ अनाज भी मिलता था।

खसरा नवीस

रोहिट ठिकाने की पुरालेखीय बहियों में कामदार के साथ ही खसरा नवीस पद का भी उल्लेख हुआ है। इसका मुख्य कार्य ठिकानेदार और कृषकों के बीच मैत्री भाव रखना था ही वरन् ठिकाने के विभिन्न भू–खण्डों के साथ ही कास्त लायक भूमि की पैमाईस को अपनी बही में इन्द्राज करने का कार्य किया करता था। वि.सं. 2006 में रोहिट ठिकाने में खसरानवीस पद पर सुमेरसिंह नियुक्त था।

बागवान

ठिकाने के बाग–बगीचों की देख–रेख के साथ ही दूसरे ठिकाने से आए लोगों का सम्पर्क ठाकुर से कराने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। वि.सं. 1887 में जीवनखां बागवान के पद पर नियुक्त था। यह ठिकाने के महत्वपूर्ण पत्रों को राज्य में सुर्पुदगी का कार्य भी करता था।

कासीद

ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था में कासीद का पद भी बड़ा महत्वपूर्ण था। यह पद विश्वास पात्र लोगों को ही दिया जाता था। ठिकाने की बही से ज्ञात होता है कि वि.सं. 1887 में ढोली बन्ना कासीद के पद पर नियुक्त था। यह अपने ठाकुर के पत्र न सिर्फ दूसरे ठिकानों बल्कि राज्य में स्वयं चलकर पहुँचाता था। इसे ठिकाने की ओर से चार रूपये मासिक वेतन मिलता था।

सिलेहखाना दारोगा

रोहिट ठिकाने में सिलेहखाना का दारोगा का पद भी अस्त्र–शस्त्र से जुड़े होने से बड़े महत्व का था। यह ठिकाने के शस्त्रों में ढाल, बन्दुक, बुरछियां, तलवार, कटारी, पेशकबज आदि का लेखा–जोखा अपने रजिस्टर में दर्ज किये हुए रखता था उसके साथ ही अस्त्र–शस्त्र की मरम्मत करवाने, अस्त्र–शस्त्र को ठाकुर के आदेशानुसार उपहार

स्वरूप प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाता था। इनका विभाग सिलेहखाना के नाम से जाना जाता था। इन्हें ठिकाने की ओर से 6 रूपये मासिक वेतर मिलता था।

तोसाखाना का हजुरियां

रोहिट ठिकाने में तोसाखाना का विभाग भी हुआ करता था, जिसमें गहनों के साथ ही कपड़ों की अलग–अलग किस्म, घोड़ों के श्रृंगार सामग्री, बर्तन इत्यादि संग्रहित होते थे। वि.सं. 1904 की तोसाखाना बही से ज्ञात होता है कि ठिकाने में अधिकांश रूप से कपड़ा पाली से आया करता था जिनमें ज्यादातर धोती, पोतियां, अंगरखा जो मुलमल, रेशम और सूती कपड़े के बने होते थे। उस समय तोसाखाना का विभाग ठिकाने की ओर से हजुरियां हिमता के नियंत्रण में था।

रोहिट ठिकाने की पुरालेखीय सामग्री का अध्ययन करते हैं तो उसमें लाग बाग से सम्बन्धित बहियों में ठिकाने के साथ ही उसके अधीनस्थ गावों के प्रशासनिक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। गौरतलब है कि ठिकाने की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव हुआ करती थी। गौरवतलब है कि ठिकाने की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव हुआ करती थी। मध्यकालीन युग में गांव का मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। अनन्तर ग्रामिक को आगे चलकर के पटवारी की संज्ञा दी जाने लगी वस्तुतः इनके दो मुख्य दायित्व हुआ करते थे –

1. भू–खण्ड सम्बन्धी पत्र दस्तावेजों को संग्रहित कर सुरक्षित रखना।
2. गांव से राजस्व की वसूली करना।

उपर्युक्त कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इनके सहयोगी 1. कनवारी, 2. तफेदार, 3. तलवाटी, 4. चौपदार हुआ करते थे। जिनका कार्य क्षेत्र इस प्रकार था –

(अ) कनवारी

करवारी का पद ठिकाने के ठाकुर को जमीन की पैदास के मामले में विशेष जानकारी देने के साथ ही प्रशासन से जुड़े कार्य को देखने से था। पुरालेखीय बहियों से ज्ञात होता है कि ठिकाने की ओर से इनको कास्त लायक भू–खण्ड प्रदान किये हुए थे। इसके साथ ही इसके बदले एक विशेष रकम इनकों ठिकाने के राजकोश में जमा करवानी पड़ती थी।

वि.सं. 1917 में दहिया बुधो और वि.सं. 2006 में पिंजारा लाल खां कनवारी पद पर नियुक्त था।

(ब) तफेदार

तफेदार का प्रमुख कार्य ठिकाने में आये राजस्व का लेखा–जोखा रखने के साथ ही अनाज का जो हिस्सा बंट से प्राप्त होता था, उसका इन्द्राज बही में करना था।

(स) तलवाटी

तलवाटी का कार्य मुख्य रूप से उपज को तोलने का कार्य होता था।

(द) चौकदार

चौकदार का प्रमुख कार्य उपर्युक्त सभी प्रकार के कार्यों की क्रियाविति करने के लिए व्यवस्थाऐं बनाएं रखना था।

महीनदार/रोजीनदार

ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित चलाने के लिए आंशिक महीनदार और रोजीनदार पदों की नियुक्ति भी समय–समय पर की जाती थी। ज्ञातव्य है कि महीनदार पद में मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी सम्मिलित हुआ करते थे, जिन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ठिकाने से सम्बन्धित अलग–अलग कार्य सौंपे जाते थे। इसी तरह रोजीनदार पद प्रतिदिन के वेतन प्राप्त कर्मचारी से था। इसमें अधिकांश जैसा का ठिकाने की बही से ज्ञात होता है झाडुकस, मजदूर इत्यादि होते थे।

महीनदार

ठिकाने की कचेड़ी तालके रोजनामा की बही से ज्ञात होता है कि महीनदार पद पर ठिकाने के पोलपात जिनका कार्य पोल की सुरक्षा के साथ ही बाहर से आए अतिथि का सत्कार करने से था। बही से ज्ञात होता है कि उस समय पोलियां इमाम बक्श महीनदार के पद पर नियुक्त था। जिसे ठिकाने की ओर से दो रूपये प्रति माह रोजगार के साथ ही वस्त्र और जुतियों की जोड़ी ठिकाने से मिला करती थी।

इसी तरह सिपाही का पद भी महीनदार के रूप में ठिकाने की ओर से नियुक्त किया गया था। उस समय मेहमद खां सिपाही के रूप में अपनी सेवाऐं ठिकाने में देता था। इन्हें भी दो रूपये प्रति माह वेतन मिला करता था। इसके साथ ही फेरणियां मोहबत खां भी महीनदार के रूप में नियुक्त था। उसे भी दो रूपये प्रतिमाह के साथ वस्त्र और जुतियों की जोड़ी ठिकाने की ओर से मिलती थी।

रोजीनदार

ठिकाने की ओर से रोजीनदार पद पर अंशकालीन नियक्तियां भी की जाती थी वस्तुतः रोजीनदारों के रूप में झाडुकस और ठिकाने के कमठो की मरम्मत के बाबत मजदूरों का उल्लेख मिलता है। झाडुकस ठिकाने में सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्य को सम्भालते इन्हें ठिकाने की ओर से बांस का झाडु दिया जाता था। उस समय झाडुकस पद पर ओढिया था। जिसे प्रतिदिन के हिसाब से मास पुरा होने पर 15 दिनों की सेवाओं के बदले 1.5 रूपये (डेढ रूपया) दिया गया था।

इस तरह ठिकाने में रोजीनदार व महीनदार के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी भी नियुक्त थे जो प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

इस प्रकार ठिकाने की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए ठाकुर जहां अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति अपने विवेक से करता था। वहीं इनके कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर्मचारियों की योग्यता पर भी निर्भर था। साधारणतः रोहिट ठिकाने में कामदार, पोतदार, हवालदार, कासीद, कनवारियां, खसरा नवीस इत्यादि पद हुआ करते थे। इसके साथ ही ठिकाने की बही में वजीर और कोठारी पद का भी उल्लेख हुआ है। उक्त सभी प्रशासनिक कर्मचारी ठिकाने के स्तम्भ थे, जो अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप ठिकाने की व्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन कर्मचारियों के साथ ठाकुर का सम्बन्ध और जनता के साथ सम्बन्ध किस प्रकार था यह पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बही में कहीं–कहीं कर्मचारियों को वेतन जब विलम्ब से मिलता तो वे भी अपना धैर्य बनाये रखते थे। वहीं ठिकाने की ओर से भी प्रशासनिक कर्मचारियों का पूर्ण ख्याल रखा जाता था। उनके विपत्ति काल में वे उन्हें न सिर्फ अग्रिम मासिक वेतन प्रदान करते बल्कि परिवार में विवाह के आयोजन पर ठिकाने की ओर से वस्त्र भी देने के सन्दर्भ बहुतायत रूप में मिलते हैं।

***सहायक प्रोफेसर**
इतिहास विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय
जोधपुर

संदर्भ सूची

1. मध्यकालीन राजस्थान में ठिकाना व्यवस्था, पृ. 55–58
2. खास रोहिट री घासमारी, माल सेरीणो, झुंपी, खरखर वगैरा रो नावों, बही सं. 998, (राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर)
3. खास रोहिट अर पट्टे रे गांवा रो नावो, बही सं. 1127, (राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर)
4. खास रोहिट अर पट्टे रे गांवा रो नावो, बही सं. 1127, (राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर)
5. ठिकाणा रोहिट संग्रह, बही सं. 1001, (राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी, जोधपुर)